594वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 सितम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 594वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 8565/2021 Shri Aman Kumar, 41, Chikasi, Dist. Hamirpur, UP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.781 ha. (30000 cum per annum) (Khasra No. 491), Village - Lausi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP).EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida U.P.</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 491), Village - Lausi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)1.781 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 504वीं दिनांक 23/07/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमन सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान शासकीय भूमि पर है जिसमें 15 पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बैरियर जोन में होने के कारण 08 पेड़ नहीं काटे नही जायेगे तथा 07 पेड़ काटे जावेगे एवं उसके एवज् 70 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे तथा 70 अतिरिक्त पेड़ो को शामिल करते हुए कुल 2210 पेड़ो का वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के

दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र उत्तरी भाग से 100 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा 01 कच्चा रोड़ आवंटित क्षेत्र से निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह कच्चा रोड़ उनके खदान का पहुंच मार्ग है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा गांव की रोड़ बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, अतः वे गांव की रोड़ का रख–रखाव करायेगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है जिसके पेज नं. 139–140 के सरल क्रमांक–110 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 30,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.64 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.45 लाख :–

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
✓	वर्ष मे ं दो बार ग्राम लौसी मे ं स्थानीय ग्रामीणो ं के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की जायेगी।	20000
✓	ग्राम पंचायत भवन चंदवारा मे ं पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाने के लिए शिविर का आयोजन किया जायेगा ।	10000
✓	उज्जवला योजना के तरह 5 श्रमिकों को 05 एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जायेगा	15000
	योग	45000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2210 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन	सिस्सू, नीम, खमैर, चिरौल, पीपल, करंज, कुम्भी, दहिमन आदि और अन्य प्रजातियां।	1500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर)	नीम, पुत्रंजीवा, , कदम्ब, पीपल, चिरौल, कचनार, आदि	120

		और उपलब्ध देशी प्रजातियॉ,	
3	चंदवारा, लौसी, अलीपुरा और मुद्धारा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, सीताफल, आंवला, नींबू, बेल, आम, आदि और उपलब्ध देशी प्रजातियॉ।	570
4	शासकीय विद्यालय चंदवारा	कदंब, नीम, कचनार, गुलमोहर, अशोक, पुत्रंजीवा आदि।	20
		कुल	2210

2. <u>Case No 8576/2021 Shri Aviram Shukla, Shukla Sadan, Ward No. 07, Ratanganj Muhalla, Near Rival English School, Bijawar, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.18 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 152/1), Village - Nayagaon, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP) M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida U.P.</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 152/1), Village - Nayagaon, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP) 3.18 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 506वीं दिनांक 09/08/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अविराम शुक्ला (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान शासकीय भूमि है जिसमें 05 पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये 05 पेड़ काटे जायेगे एवं उसके एवज् 50 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भाग से 60 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला होने के कारण 0.28 हे. का नॉन माईनिंग जोन छोडा गया है । खदान के दक्षिणी क्षेत्र से 350 मीटर की दूरी पर रोड़ निकल रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई थी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है जिसके पेज नं. 25 के सरल क्रमांक–18 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा

594वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 सितम्बर 2022

विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.83 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 5.23 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख :–

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
	पास के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिये खेल सामग्री (शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, और बैडमिंटन, फुटबॉल आदि)की व्यवस्था कि जायेगी।	10,000/–
	स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों में सोलर पैनल की स्थापना कराई जायेगी।	30,000/–
	उज्जवला योजना के तहत सोलर कुकर/एलपीजी सिलिडर की व्यवस्था खदान के मजदूर के लिए की जायेगी।	10,000/–
	नयागांव गांव में प्रमाणित चिकित्सक के देखरेख में (मौखिक, मधुमेघ और रक्तचाप) स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन की किया जायेगा।	25,000/–
	ग्रामों के स्थानीय मवेशियों के लिए स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण ि ाविर आयोजन की किया जायेगा।	25,000/–
	ग्राम नयागांव में मास्क व हैंड सैनिटाइजर का वितरण कराया जायेगा।	10,000/–
	स्कूल छात्रों के लिए पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराया जायेगा।	10,000/–
	योग	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3200 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आंवला, खमेर, आम, नीम, पीपल, शीशम, सीताफल, बरगद, चिरौल, शिरीश आदि और अन्य उपलब्ध देशी प्रजातियां।	2200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर)	इमली, जामुन, शीशम, महुआ,नीम, पीपल इत्यादि।	100
3	नयागांव ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, खमेर, आम, मुनगा, नीम, पीपल, शीशम, इमली, जामुन, सीताफल एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियां।	900
4.	लीज एरिया के समीप चारागाह के विकास के लिए	अंजन, सिंबोपोगोन, मस कांधी, छोटी कांधी, ट्राईएन्ड्रा, स्थानीय बारहमासी चारा की प्रजातियां।	500
5.	लीज एरिया से दक्षिण दिशा की ओर स्थित जल निकाय के आस–पास	नीम, पीपल, शीशम, सीताफल, बरगद, आदि और स्थानीय बारहमासी घास की प्रजातियां जैसे कान्स ग्रासो (सचरम स्पोंटेनियम) बड़ा पत्ता घास (सेटारियामेगाफिला) और दोआब घास (साइनोडोंडैक्टाइलन) अन्य इत्यादि।	200
		कुल	3200

3. <u>Case No 7544/2020 M/s Satguru Cements Private Limited, 601/1, Airen Heights, Scheme No. 54, PU - 3, Oppo. C - 21 Mall, AB Road, Indore, MP Prior Environment Clearance for Limestone Deposit in an area of 58.431 ha. (3,32,448 tonne per annum) (Khasra No. 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 126, 137/2, 133, 141/1, 144, 146/2 (Part)), Village - Khod, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP) Environmental Consultant:M/s Creative Enviro Services, Bhopal.</u>

This is case of Limestone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 126, 137/2, 133, 141/1, 144, 146/2 (Part)), Village - Khod, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP) 58.431 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 455वीं दिनांक 16/09/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण सेक की क्रमांक 560वीं बैठक दिनांक 12/03/22 एवं 561वीं दिनांक 21/03/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियेाजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

प्रकरण सिया द्वारा रिलिस्टि कर सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रविन्द्र जोशी, प्लांट मैनेजर और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रियेटिव इंन्वारो, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि यह शासकीय भूमि पर आवंटित एक कैप्टिव खदान हैं, जो 05 भागों में आवंटित हुई है, जिसका कुल रकबा 58.431 हे. है, जिसमें से मात्र 2.34 हे. (ब्लॉक–ई) अभी परियोजना प्रस्तावक के अधिपत्त में नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा तथा अधिकतम् गहराई 12 मीटर से अधिक नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 46 पेड़ लगे है, जिसमें से 20 काटे जायेंगे तथा 26 पेड़ नहीं काटे जायेंगे । काटे जाने वाले 20 पेड़ों के एवज में 200 अतिरिक्त वृक्षों का रोपण किया जायेगा । आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 400 मीटर पर जलाशय है जिसके सुरक्षा हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव दिया गया है । इसी प्रकार ब्लॉक ए में बिजली की लाईन निकलने के कारण इसके दोनों तरफ 50–50 मीटर का नॉन माईनिंग छोड़ा गया है जिमसें कम ऊॅचाई वाले वृक्षों का रोपण प्रस्तावित किया गया है । इसी प्रकार जिला ब्लॉक में प्रथम पॉच वर्ष की माईनिंग प्रस्तावित की गई हैं उसके उत्तर दिशा में 30 मीटर पर रोड़ होने के कारण 45 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है जिसमें वृक्षारोपण व सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है। इसी प्रकार ब्लॉक ए की पूर्व दिशा में 50 मीटर पर

एक जल रोकने की संरचना है, जिसके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए हैं तथा आवंटित खनन् क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ड्रेंस इन्हीं गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग के माध्यम से चेनलाईज किए जायेंगे तथा पानी सेटलिंग के पश्चात् ही निस्तारित किया जायेगा । खदान के दक्षिण दिशा वाले भाग में कुछ मकान/आबादी परिलक्षित हो रही है तथा आने–जाने हेतु कच्चा रास्ता भी बना हुआ है जो लीज से होकर गुजरता है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये पुराने मकान है, जिसमें वर्तमान में कोई निवास नहीं करता तथा इनका भविष्य में खदान मालिक द्वारा खदान के कार्यो के उपयोग किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि शुरूआती 02 वर्षो तक खनन् कार्यो हेतु जलापूर्ति परियोजना प्रस्तावक के सीमेंट प्लांट से टैंकरों के माध्यम से की जावेगी तथा जब खनन् क्षेत्र में माइनपिट बन जायेंगे तो जलापूर्ति उसमें से एकत्रित पानी से की जावेगी । जन सुनवाई में स्वास्थ्य शिविर, जल आपूर्ति, सड़क का निर्माण, वृक्षारोपण, शैक्षणिक व खेल विकास इत्यादि कार्य हेतु सुझाव प्राप्त हुए थे जिसको ई.एम.पी. एवं सी.आर. में शामिल किया गया है । परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल आरओएम–3,32,448 टीपीए है, जिसमें से लाईम स्टोन–2,59,725 टीपीए तथा वेस्ट–72,723 टीपीए है । माइन वेस्ट बैकफिल किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन – 2,59,725 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 117.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 40.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 36.50 लाख :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	**Issues**	**Cost in Rs**
1	Training provided for 10 person at ITI, Manawar 07 boys and 03 girls of village Khod, Balwari Chhoti (Rs 0.50lac per student) Trade : Mining Met and Mechanical /electrical trade	5.00 Lacs per year for next 03 years)
2	WBM Road within village of Khod/ Balwari Chhoti (as per suggestion of gram Panchayat)	10.00 Lacs
3	Distribution of Plantation at village 3000 in number Rs 100 per plant	3.0 Lacs
4	Promotional works and workshop on Crop improvement and marketing of products (Minor Millets) of Rajgira/ Mahua through **Swa Sahayta Samooh** in consultation with agricultural department	2.0 Lacs
5	Weekly visit of Doctor at village Khod (Day decided after discussion with villagers/ day of Weekly Hot bazaar)	1.50 lacs (recurring cost)
6.	Two handpump at Aganwadi center and School - Khod	5.00lacs
	Total	**35.00 lacs +1.50 lacs**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 63,400 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

Plant Species for Mine Area, Transportation road and village distribution				
Phase	**Name of Tree/ shrub/Herbs**	**No. of Plants**	**Location**	**Remark**
1st year to 2nd year	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Katang Bans, Khamer, Seeds of Agaive Americana Gattayon, Subabul, Prosopis and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	7000	Along with barrier zone/garland drain	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility Over heap and along the drain. Drain will be inside the lease area which will be fenced
1st year to 4th year	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Katang Bans, Khamer and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	6000	Below the electric line	Trench of 45 cm will be provided with channelling facility
Along with Mining Operation From 2nd year to 15th year)	Karanj, Jangal Jalebi, White Kastar, Fodder Tress, Grass Neem, Chirol, Bans, Khamer, and other local species etc.	**47000**	Over Backfilled area and bench area	Within lease area which will be fenced
1st Year	Neem, Kadam, Aam, Munga	**400**	Along the road	With 2.5 mtrs distance
1st year	Neem, Jamun, Jam, Anwla, Aam, Munga	**3000**	For distribution of villagers	
	Total	**63400**		

4. <u>Case No. 9290/2022 M/s Piyanshu Chemicals Pvt. Ltd, 53A, Tiljala Road, Mescab Centre, 4th Floor, Kolkata, W.B. – 700046. Prior Environment Clearance for Expansion in production capacity from 8320 MT/Year to 48,000 MT/Year for Manufacturing of Resins, Driers, Paint Additives Products at Plot No. 684, 652, Industrial Area-3, Pithampur, Dist. Dhar, MP. Env. Con. – M/s. Creative Enviro Services , Bhopal.</u>

The project is a Synthetic Organic Chemicals Industry (dyes & dye intermediates; bulk drug). 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (As per EIA notification dated 14th September 2006 and amended to the date) and involves environmental clearance. Application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

The case was presented by Env. Consultant Shri Manish Chandekar from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and their representatives on behalf of PP Shri Padmanabh Bhagat. During presentation PP submitted that the industry is located in Pithampur Industrial area and at present involved in manufacturing of resin 8320MT/Year and obtained CTO from MP Pollution Control Board on 12/09/2005. PP further submitted that they are now proposing expansion from 8320 MT/Yeat to 48,000 MT/Year of resin. During deliberations, committee asked PP to justify in EIA report how 08 times expansion is feasible with available space and submit details of additional plant and machinery on layout which shall be superimposed on the existing layout. No existing green area shall be reduced and PP shall explore the possibility of expanding green area also by 08 times either within the plant premisis or land available nearby the proposed expansion. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

1. Justify in EIA report how 08 times expansion is feasible with available space and submit details of additional plant and machinery on layout which shall be superimposed on the existing layout.
2. No existing green area shall be reduced and PP shall explore the possibility of expanding green area also by 08 times either within the plant premisis or land available nearby the proposed expansion.
3. PP should provide entire product mix with mass balance in the EIA report.
4. PP shall explorte the possibility of re-utilizing H2O.
5. Carbon foot print analysis shall be carriedout and discussed in the EIA report.
6. Worst case scenario w.r.t. waste water and hazardous waste should be submitted.
7. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report and VOC monitoring shall also be cariedout.
8. All MSDS should be provided with the EIA report.
9. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
10. Land use plans of the plant both existing land use as well as proposed land use and PP should assure that no existing green area shall be altered for which a written commitment be submitted with the EIA report.
11. Details of any waste at present lying within the plant premises and if yes, same should be discussed in the EIA report with its disposal plan.
12. Inventory of existing and proposed machinery and if any existing machinery proposed to be used same shall be presented in the EIA report.
13. PP should explore possibility of using Biofuel / clean fuel based technology in boilers.
11. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CSR cost details and

should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CSR cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

12. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
13. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
14. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
15. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

5. <u>Case No. 9292/2022 Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Narmada Development Division No. 08, Sanawad, Dist. Khargone, MP. Prior Environment Clearance for Sanwer Micro Lift Irrigation Scheme at Village - Kandiyakund, Tehsil - Badwah, Dist. Khargone, MP . CCA: 80,003 ha. GCA: 1,20,401 ha., Benefitted Villages: 272 Nos., Cat. 1(c) River Valley and Hydroelectric Projects. Env. Con. –M/s. R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd. Gurgoon.</u>

This is a Micro Lift Irrigation Scheme involving 80,003 ha. of CCA and 1,20,401 GCA. The lifting point is Omlareshwar reservoir in district Khandwa. The application for EC was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP.

The case was presented by Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon along with PP's Shri J.S. ranawat, Executive Engineer, ND Division, Sanawad. During presentation PP submitted that no submergence is involved in this project thus it is a B2 project. Number of benefited villages will be 272 and districts involved in this project are Indore, Khargone and Ujjain. During presentation PP submitted that part of the area is falling within the forest (approx. 106 ha) so forest clearance will be obtained for this project. After deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA study along with following additional TORs:

1. In EIA report details about existing and proposed National Parks such as Omkareshwar National Parks and their wild life management plan shall be discussed.

2. Details of temporary R&R (if any) shall be discussed in the EIA report.
3. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
4. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
5. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
6. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
7. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
8. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
9. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
10. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
11. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussd in the EIA report.
12. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
13. As forest land is involved in the project FC stage to be clarified with supporting documents alongwith catchment area improvement and natural drainage protection plan shall be discussed in the EIA report.
14. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
15. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
16. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

6. <u>Case No 9291/2022 Shri Gagan Grover, Owner, Ward No. 4 Khalbara Bazar, Bus Stand Kymore, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.750 ha. (135184 cum per annum) (Khasra No. 1055, 1055/1539, 1055/1546, 1073) Village - Bichpura, Tehsil - Barhi, Dist. Katni, (MP) Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1055, 1055/1539, 1055/1546, 1073) Village -

Bichpura, Tehsil - Barhi, Dist. Katni, (MP) 3.750 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री गगन ग्रोवर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1623 दिनांक 07/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 14.12 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

वनमण्डला अधिकारी सामान्य वन मण्डल, कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 1649 दिनांक 01/06/19 अनुसार आवेदित क्षेत्र पनपथा अभ्यारण्य (कोर) से लगभग 9.75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आपत्ति योग्य होना लेख किया गया है अतः परियेाजना प्रस्तावक संबंधित वनमंडलाधिकारी यह जानकारी प्राप्त करें कि अधिसूचित ईकोसेंसेटिव जोन से खदान कितनी दूरी पर है तथा आपत्ति का कारण क्या है एवं यह दस्तावेज ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।

परीक्षण के दौरा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कटनी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है। रेत को छोड़कर अन्य गौण खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक को परीक्षण हेतु अप्राप्त है । अतः समिति परियोजना प्रस्तावक को निदेर्शित किया कि ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 40 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 130 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना सेट–बेक के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत कि जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 40 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 130 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना सेट–बेक के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 1649 दिनांक 01/06/19 अनुसार आवेदित क्षेत्र पनपथा अभ्यारण्य (कोर) से लगभग 9.75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आपत्ति योग्य होना लेख किया गया है अतः परियेाजना प्रस्तावक संबंधित वनमंडलाधिकारी यह जानकारी प्राप्त करें कि अधिसूचित ईकोसेंसेटिव जोन से खदान कितनी

दूरी पर है तथा आपत्ति का कारण क्या है एवं यह दस्तावेज ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।

4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

7. <u>Case No 9285/2022 Shri Ashutosh Mishra, Owner Site Address Village - Harraha, Tehsil - Mahuganj, Dist. Rewa (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.0 ha. (19000 cum per annum) (Khasra No. 19, 86) Village - Harraha, Tehsil - Mahuganj, Dist. Rewa, (MP) Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site ((Khasra No. 19, 86) Village - Harraha, Tehsil - Mahuganj, Dist. Rewa, MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अशुतोष मिश्रा (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2217 दिनांक 13/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान

स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 09.553 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 142 मीटर पर है । संभागीय समिति की बैठक दिनांक 29/12/21 अनुसार विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 142 मीटर की दूरी छोड़कर एवं स्थल पर वन सीमा की ओर वृक्षारोपण करने तथा चेनलिंग, फेंसिंग एवं ट्रेंचिंग कार्य कराये जाने के उपरांत उपरोक्तानुसार की कार्यवाही के छायाचित्र एवं मौका पंचनामा संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

परीक्षण के दौरा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रीवा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं.–65 के सरल क्रमांक–3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जो सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को कुछ संशोधन के साथ पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत को छोड़कर अन्य गौण खनिज) प्रस्तुत करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को दिए गए हैं । अतः समिति परियोजना प्रस्तावक को निदेर्शित किया कि ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 270 मीटर तथा उत्तर दिशा में 200 मीटर पर रोड़ है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 270 मीटर तथा उत्तर दिशा में 200 मीटर पर रोड़ है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

6. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

8. <u>Case No 9286/2022 M/s Prakash Deep Minerals, Partner, Shri Ramprakash Dwivedi, L.I.G. 3/27/306, Nehru Nagar, Dist. Rewa, MP Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.50 ha. (47909 cum per annum) (Khasra No. 3/1, 3/5, 3/6) Village - Harraha, Tehsil - Mahuganj, Dist. Rewa, (MP)) Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/1, 3/5, 3/6) Village - Harraha, Tehsil - Mahuganj, Dist. Rewa, (MP) 2.50 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रकाश द्विवेदी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 579 दिनांक 10/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 07.50 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 74.38 मीटर पर है । संभागीय समिति की बैठक दिनांक 14/10/20 अनुसार विचाराधीन प्रकरण में सर्व सम्मति से वन सीमा से 74.38 मीटर की दूरी छोड़कर एवं स्थल पर वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करने तथा चेनलिंग, फेंसिंग का कार्य कराया जाये । मृदा अपक्षय रोकने के प्रभावी उपाय करने एवं वन सीमा से 2 किलामीटर की परिधि में वन अपराध होने की सूचना वन विभाग को दी जावे तथा वन सीमा की ओर खनिज की डम्पिंग एवं अन्य कार्यवाही नहीं किये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परीक्षण के दौरा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रीवा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं.–65 के सरल क्रमांक–2 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जो सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को कुछ संशोधन के साथ पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत को छोड़कर अन्य गौण खनिज) प्रस्तुत करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को दिए गए हैं । अतः समिति परियोजना प्रस्तावक को निदेर्शित किया कि ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 65 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जलाशय है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये साथ ही संबंधित शासकीय ऐजेंसी जिसके अधिकार में जलाशय है से खनन् हेतु अनापत्ती प्राप्त कर ई.आई.ए के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 65 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जलाशय है अतः उनकी संरक्षण योजना एच.एफ. एल. को ध्यान में रखते हुए ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. संबंधित शासकीय ऐजेंसी जिसके अधिकार में जलाशय है से खनन् हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर ई.आई.ए के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

9. <u>Case No 9301/2022 M/S. B.C.C. Project Private Limited, Director, Shri Saurabh Bhardwaj, Kandil Bhavan, Baradari Chauraha, Ram Nagar Morar, Dist. Gwalior, MP, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.425 ha. (90000 cum per annum) (Khasra No. 220, 219/3/2, 219/2, 216, 217) Village - Jigniya, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior, (MP) Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 220, 219/3/2, 219/2, 216, 217) Village - Jigniya, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior, (MP) 2.425 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सौरभ भारद्वाज (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1114 दिनांक 03/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.378 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परीक्षण के दौरा पाया गया कि सेक की 592वीं बैठक दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसके पेज नं. 25 सरल क्रमांक 143 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 120 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 340 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । इसी प्रकार खदान का पूर्व दिशा में अशिंक भाग खुदा हुआ है तथा पानी भरा हुआ है अतः ई.आई.ए. में सक्षम प्राधिकारी जैसे माईनिग आफिसर से यह प्रमाणित करवाया जाये कि इस क्षेत्र में खनन् कार्य किसके द्वारा किया गया तथा माईन वॉटर डिस्चार्ज प्लान प्रस्तुत किया जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 120 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 340 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. खदान का पूर्व दिशा में अशिंक भाग खुदा हुआ है तथा पानी भरा हुआ है अतः ई.आई.ए. में सक्षम प्राधिकारी जैसे माईनिग आफिसर से यह प्रमाणित करवाया जाये कि इस क्षेत्र में खनन् कार्य किसके द्वारा किया गया तथा माईन वॉटर डिस्चार्ज प्लान प्रस्तुत किया जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

10. <u>Case No 9303/2022 M/s Lucky Mining, Partner, Shri Ritesh Rathore, 60, Railway Station Road, Dist. Dewas, MP, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Mine in an area of 1.380 ha. (Stone - 10000 cum per annum, M-sand - 5000 cum per annum) (Khasra No. 460/1, 460/2, 500/1, 500/2) Village - Pitawali, Tehsil - Dewas, Dist. Dewas, (MP) Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Stone & M-Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 460/1, 460/2, 500/1, 500/2) Village - Pitawali, Tehsil - Dewas, Dist. Dewas, (MP) 1.380 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

594वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 सितम्बर 2022

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रितेश राठौर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1779 दिनांक 06/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 17.10 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परीक्षण के दौरा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है । सेक की 592वी बैठक दिनांक 06/9/2022 को देवास जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत को छोड़कर अन्य गौण खनिज) अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा प्रेषित की गई है उसमें भी इस खदान का विवरण दर्ज नही है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 120 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 120 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः उनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. एम–सेंड प्लांट के सम्पूण विवरण, ले–आऊट, जल एवं वायु प्रदूषण व्यवस्थाओ के साथ ई. आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किये जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

9. निजी भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

11. <u>Case No 9299/2022 Shri Abhilash Singh, Lease Owner, R/o Village - Chitahri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 9.20 ha. (105279 cum per annum) (Khasra No. 467) Village - Munuriya, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP) M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida U.P.</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 467) Village - Munuriya, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP) 9.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलाश सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1641 दिनांक 21/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 27.600 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परीक्षण के दौरान पाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है, जिसके पेज नं. 140 के सरल क्रमांक–113 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान पहाड़ के ऊपर स्थित है जिसके उत्तर–पूर्व दिशा में खदान से लगी हुई कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में खदान से लगी हुई कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

12. <u>Case No 9300/2022 Shri Prabhanshu Pandey, Owner, 122, Station Road, Ward No..29, Dist. Shajapur (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.011 ha. (49875 cum per annum) (Khasra No. 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 711/6) Village - Bathiya, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, (MP) M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida U.P.</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 711/6) Village - Bathiya, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, (MP) 4.011 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रभानशु पाण्डे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1303 दिनांक 07/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 19.403 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 88 के सरल क्रमांक–96 पर इस खदान का विवरण दर्ज है किंतु सतना जिले

की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी अनुमोदित नही हुई है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर पक्का रोड, दक्षिण दिशा में 590 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग़ तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 350 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर पक्का रोड, दक्षिण दिशा में 590 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग़ तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 350 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

13. <u>Case No 9302/2022 M/s Micro Minerals, R/o Gokul Dham Colony, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Limestone and Dolomite Mine in an area of 5.470 ha. (Limestone - 24458 Tonne per annum, Dolomite - 5984 Tonne per annum) (Khasra No. 66, 67, 68, 69) Village - Baragaon, Tehsil - Barwara, Dist. Katni, (MP) M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida U.P.</u>

This is case of Limestone and Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 66, 67, 68, 69) Village - Baragaon, Tehsil - Barwara, Dist. Katni, (MP) 5.470 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1343 दिनांक 24/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 6.41 हेक्टेयर होता है । चूँकि लाईम स्टोन मेजर मिनरल है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कटनी जिले की पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोर्ड की गई है, जिसके पेज नं. 19 के सरल क्रमांक–123 पर इस खदान का नाम दर्ज है । कटनी जिले कि नवीन सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक को परीक्षण हेतु प्राप्त हो गई है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट डोलोमाईट हेतु जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर

उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

14. <u>Case No 9297/2022 Vandana Tiwari, Owner, Daddadham Colony, Dist. Katni, MP, Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 4.0 ha. (26616.80 cum per annum) (Khasra No. 350 Part) Village - Saraswahi, Tehsil - Murwara, Dist. Katni, (MP) Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (UP)</u>

This is case of Murrum Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 350 Part) Village - Saraswahi, Tehsil - Murwara, Dist. Katni, (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 594वीं बैठक दिनांक 21/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

15. <u>Case No 9298/2022 Shri Yogesh Nagar, Owner] Hiraniya Ward No. 09, Obaidullaganj, Tehsil - Gouharganj, Dist. Raisen, MP - 464993, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.80 ha. (33345 cum per annum) (Khasra No. 14/1) Village - Jamuniya Veeran, Tehsil - Sultanpur, Dist. Raisen (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 14/1) Village - Jamuniya Veeran, Tehsil - Sultanpur, Dist. Raisen (MP) 2.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश नागर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 638 दिनांक 16/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 04.80 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। सिया के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 23/05/22 के द्वारा रायसेन जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण का अनुमोदन किया जा चुका है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि स्वीकृत खदान के उत्तरी दिशा में एक तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में दो खदाने दिख रही है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 638 दिनांक 16/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः उपरोक्त संदर्भ में सेक द्वारा से खनिज अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है । इसी प्रकार प्रस्तावित खदान रातापानी अभ्यारण्य के ईकोसेंसेटिव जोन से कितनी दूरी पर स्थित है, की जानकारी वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त की जाये ।

16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा –

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, भोपाल को प्राप्त हो रही जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा :

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त हो रही जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो के बारे मे विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा उपरांत पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार सम्पूर्ण जानकारियों का समावेश कुछ जिलों के जिला खनिज अधिकारीयों / प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवश्यक संशोधन कर किया जा रहा है, एंव कुछ जिलों मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के उन्नयन/अद्यतन करने का कार्य निरंतर जारी है।

1. जिला सर्वेक्षण रिर्पोट – सिंगरौली (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

Mineral	Other than Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 581st Meeting dated 24.06.2022.

Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation
Deliberation in the SEAC 581st Meeting dated 24.06.2022.	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिंगरौली – श्री अशोक कुमार राय, प्रभारी खनिज अधिकारी,** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 817 दिनांक 22/06/22 के माध्यम से सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 21/06/22 को, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 1731 दिनांक 01/06/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सिंगरौली सीधे सेक को प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रतिलिपि सिया को दी गई थी। कार्यालय (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1731 दिनांक 01/06/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड किया गया था । उक्त अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021–2022 प्रस्तुत की गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/2022 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तावित की गई । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सिंगरौली की ओर से श्री ए.के. राय, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ➢ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । ➢ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए। ➢ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री ए.के. राय, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised DSR received from	Vide District Collectorate (Mining) Office, Singrauli , No. 2503 dated 16.09.2022

District Collectorate (Mining)	
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका क्र0.– 9.2 पेज क्र0. 23–63 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी तलिका क्र0. – (पेज क्र0. 89 से 105) मे दी गई है एंव वृक्षारोपण में फोटोग्राफ्स का भी समावेश किया गया है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं ए.के. राय, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– सिंगरौली के पत्र क्र0 2503/खनिज/2022–23 दिनांक 16/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रतलाम

अ. रतलाम –गौण खनिज– गिट्टी

Mineral	**Other Minor Minerals (Stone)**
Earlier DSR Discussed	SEAC 579th Meeting dated 17.06.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Other Minor Minerals)**
Deliberation in the SEAC 579th Meeting dated	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 गौण खनिज, जिला रतलाम**

17.06.22	**जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –गौण खनिज जिला रतलाम (म.प्र.)** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 722 दिनांक 06/06/22 के माध्यम से रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 07/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 में प्रस्तावित है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम म.प्र. ने पत्र 1084 दिनांक 06/06/22 द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय में जमा कराई गई । पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि जिला पोर्टल पर इसे 21 दिवस हेतु अपलोड कर प्राप्त दावें /आपत्तियों अनुसार आवश्यक सुधार कर उप संभागीय समिति की अनुशंसा के पश्चात् अनुमोदन हेतु सिया, भोपाल भेजा जा रहा है । जिला कार्यालय के किस बैठक में एवं दिनांक को उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अनुमोदन किया गया, इसका उल्लेख नहीं है । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रतलाम की ओर से सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ➢ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है। ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–3 एवं 4 में रेत, गिट्टी स्टोन एवं मुरूम की जानकारी में लीज के अक्षांश–देशांश तथा वैधता की जानकारी समहित नहीं की गई है । ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 62 के बिंदु क्रमांक 17 में स्थित ईको सेंसिटिव जोन की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है सैलाना एवं खरमौर ईएसजेड को एक ही जिलें में होना बताया गया है और खरमौर ईएसजेड को जिला रतलाम में होना बताया गया है जबकि खरमौर ईएसजेड जिला धार के अंतर्गत आता है। संबंधित सैलाना ईएसजेड के न तो विस्तार दिये गये है न ही सीमायें बताई गई है । चूॅकि जिले परिस्थितिक संवेदी जोन जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है । अतएव इसका वर्णन जिसमें नोटिफिकेशन का नं. दिनांक एण्ड विस्तार और सीमायें का समायोजन होना अपरिहार्य है । ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के फिगर नं. 13 में ईएसजेड मेप का टाइटल है परंतु मेप के अंदर सीसमिक जोन दर्शाया गया है, इसमें संबंधित नक्शें का समावेश होना चाहिए। ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक–21 की तालिका–20 में खदानों के कलस्टर को दर्शाया गया है No. of mining lease location परंतु उक्त तालिका में नॉन–कलस्टर लिखा गया हैं। अतः कृपया स्पष्ट करें कि क्या जिलें में कलस्टर खदानों की जानकारी निरंक है। ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक–21 एवं 22 जिसमें पोस्ट और प्री मानसून में रेत की उपलब्धता दर्शाई गई है, संबंधित दोनों तालिका में जो रेत की उपलब्धता एवं स्वीकृत गहराई के साथ जो गणना की गई है, वह सही प्रतीत नहीं होती है । यदि किसी वजह से रेत की उपलब्धता/आंकलन कम हो रही है तो रिमार्क में उचित टिप्पणी के साथ, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए तथा प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है । ➢ बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । ➢ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ➢ प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए । ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में

	भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए। ➢ समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । ➢ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	DSR (**Other Minor Minerals**) for updation
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Ratlam No. 1620 dated 08.09.2022.
SEAC meeting dated 21/09/22	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज– गिट्टी) रतलाम ● जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–10 (पेज क्र0. 29 से प्रारंभ टेबल) मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार दे दी गई है। ● रिपोर्ट के पेज क्र0. 74 से 78 मे जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्यों की जानकारी दी गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– रतलाम के पत्र क्र0 1620/खनिज/2022–23 दिनांक 08/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे

दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज– गिट्टी) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

ब. रतलाम –गौण खनिज– मुरूम

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 1622 दिनांक 08/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– रतलाम (गौण खनिज–मुरूम) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । रतलाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः–

- प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी भी नही दी गयी हैं।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

स. रेत खनिज – रतलाम

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 1618 दिनांक 08/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– रतलाम (गौण खनिज–रेत) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज

अधिकारी उपस्थित रहे । रतलाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया किः–

- पेज क्र0. 91की तालिका क्र0. 21 मे रेत खनिज का मिनरल पोटेंशियल दिया गया है परन्तु तलिका मे लीजवार जो रेत लीज में उपलब्ध मात्रा की गणना की गयी है वह गलत प्रतीत है। अतएव इसको सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रीवा – अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 587th Meeting dated 02.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Minor Minerals**)
Deliberation in the SEAC 587th Meeting dated 02.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – रीवा, म.प्र.– (अन्य गौण खनिज, रेत छोड़कर)** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 26/07/22 के माध्यम से रीवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज–रेत छोड़कर) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु सॉफ्टकापी भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/07/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा म.प्र. ने पत्र क्रमांक 2413 दिनांक 25/07/2022 द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया/सेक कार्यालय में ऑनलाईन जमा कराई गई। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – रीवा ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न कार्यालय पत्राचार में यह उल्लेख किया गया कि इस डीएसआर को जिला पोर्टल पर दिनांक 17/06/22 को जन–सामान्य से आपत्ति व सुझाव प्रस्तुत करने बावत् अपलोड किया गया तथा प्राप्त आवश्यक सुधारों का समावेश किया जाकर डी.एस.आर. तैयार की गई है, जिसका अनुमोदन जिला समिति द्वारा किया गया है । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में रीवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रीवा की ओर से श्री रत्नेशन दीक्षित, खनि अधिकारी, ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– 1. तालिका क्र0. 12.1 के पेज 23 से गिट्टी स्टोन की जो जानकारी प्रदर्शित की है, उसके रिमार्क कॉलम मे

	सरल क्र0. 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 123, 125, एंव 142 मे पर्यावारण स्वीकृति संबंधी जानकारी में कोई भी टिप्पणी नही की गई है तथा अन्य गौण खनिज जैसे : ऑकर एवं लेटराईट खनिज की जानकारी भी दी जावें। इस टेबिल में जानकारियॉ अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में दिए गए फार्मेट के बिंदु क्रमांक–9 के अनुरूप कॉलमों में दी जाये, जैसे : सभी खदानों के अक्षांश–देशांश की भी जानकारी, मेथर्ड ऑफ माईनिग इत्यादि । अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए जैसे : पेज–14 पर स्वाइल मेप, पेज–17 पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स इत्यादि। 3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है, सभी संचालित खदानों में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी (खदानवार) दी जाना चाहिए, अतः इसको अद्यतन किया जाये । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रीवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री रत्नेशन दीक्षित, खनि अधिकारी,को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Narmadapuram , No. 2633 dated 13.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका क्र0.– 12 पेज क्र0. 19–39 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी तलिका क्र0. – 26 (पेज क्र0. 92 से 102) मे दी गई है ।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री रत्नेश दीक्षित, खनि अधिकारी, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– रीवा के पत्र क्र0 2633, दिनांक 13/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति रीवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बुरहानपुर –

अ. गौण खनिज, जिला – बुरहानपुर

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 315 दिनांक 06/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– रतलाम (गौण खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं सुश्री सोनल सिंह तोमर, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । बुरहानपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः–

- तलिका क्र0. – 9 में दर्शित डेटा 16 बिन्दुओं की जानकारी अधिसूचना के अनुसार नही है जैसेः–
  - Mining lease Sanction Order No. & date,
  - Date of commencement of mining operation,
  - Captive or Non-captive,
  - EC obtained Yes/No
  - Method of Mining (Open Cast/Under Ground) etc.

- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बुरहानपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

ब. रेत खनिज – बुरहानपुर

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 315 दिनांक 06/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– रतलाम (गौण खनिज–रेत) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं सुश्री सोनल सिंह तोमर, उपस्थित रही। बुरहानपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया किः–

- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की पेज नं. 48 में दर्शित तालिका में खनिज रेत हेतु लीजवार '' माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एंव चोड़ाई के साथ) नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
- ✓ मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60% माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे रेन फॉल का मासिक डेटा भी प्रस्तुत किया जायें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बुरहानपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – भिण्ड (गौण खनिज– गिट्टी एंव मिट्टी)

Mineral	**Other Minor Minerals (Stone & Soil)**
Earlier DSR Discussed	SEAC 575th , 591 Meeting dated 30.05.22 & 27.08.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Other Minor Minerals**
Deliberation in the SEAC 575th , 591 Meeting dated 30.05.22 & 27.08.22	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 गौण खनिज, जिला भिण्ड** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र कमांक 519 दिनांक 20/05/22 के माध्यम से भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 26/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में प्रस्तावित की गई । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड म.प्र. ने पत्र 5608 दिनांक 19/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 30 दिवस की अवधि हेतु अपलोड किया गया था तथा प्राप्त आपत्ति/सुझाव को समिति द्वारा अवलोकन एवं निराकरण कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया गया । इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में भिण्ड जिले श्री राकेश देशमुख, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :– • राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र कमांक 519 दिनांक 20/05/22 के माध्यम से भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18

	के अनुसार अधिकांश जानकारियॉ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भिण्ड जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये है और न ही संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जब भी अद्यतन किया जाये उपरोक्त जानकारियों को समाहित किया जाये । • चर्चा के दौरान उपस्थित श्री राकेश देशमुख, प्रभारी खनिज अधिकारी को बताया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 92–94 टेबिल क्रमांक–17 में खनिज रेत हेतु ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार नहीं दिया गया है जिसके संदर्भ में उन्होने बताया कि यह जानकारी उनके पास उपलब्ध है तथा वे ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) का लीजवार विवरण प्रस्तुत कर देंगे, अतः भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन करने का अनुरोध है । • इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा ने पत्र क्रमांक 5651/1/2022 दिनांक 30/5/22 के माध्यम से ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति (बैठक दिनांक 18/05/22 में) द्वारा किया जा चुका है तथा कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा ने पत्र क्रमांक 5651/1/2022 दिनांक 30/5/22 के माध्यम से ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये । **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22 गौण खनिज, जिला भिण्ड** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, भिण्ड (गौण खनिज) (संशोधित) –** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री दिनेश डूडवे, प्रभारी खनिज अधिकारी, उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– 1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है टेबिल क्रमांक–3 (पेज क्र0. 14 से 23) । 2. भिंड जिले मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि भिंड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी श्री महेन्द्र पटेल को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	DSR (**Other Minor Minerals**)

Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Bhind No. 6359 dated 09.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) भिण्ड – गिट्टी</u> • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–3 (पेज क्र0. 09 से 22) मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार दे दी गई है। • रिपोर्ट के पेज क्र0. 55 से 72 मे जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्यों की जानकारी दी गई है । <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) भिण्ड – मिट्टी</u> • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–3 (पेज क्र0. 09 से 22) मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार दे दी गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री राकेश देशमुख, प्रभारी, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– भिण्ड के पत्र क्र0 6359/खनिज/2022 दिनांक 09/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति भिण्ड जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज– गिट्टी एंव मिट्टी) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

6. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, विदिशा –</u>

<u>अ. अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर जिला, विदिशा</u>

Mineral	**Other than Sand –Minor mineral**
Earlier DSR Discussed	SEAC 592th Meeting dated 09.06.2022
Approved /or	Recommended for DSR Updation (**Minor Minerals**)

recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	
Deliberation in the SEAC 592th Meeting dated 09.06.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592वीं बैठक दिनांक 09/06/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, –गौण खनिज, जिला – विदिशा** आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री एम.एस. रावत, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । विदिशा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः– ➢ तलिका क0. – 9 पेज क0. 22–40 में दर्शित डेटा 16 बिन्दुओं की जानकारी अधिसूचना के अनुसार नही है जैसे – • Mining lease Sanction Order No. & date, • Captive or Non-captive, • EC obtained Yes/No • Method of Mining (Open Cast/Under Ground)etc. ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिन्दु क0. 24 के अन्तर्गतप्रदाय की गयी तालिका पेज न0. 102–115 में लीजवार वृक्षों की संख्या प्रदाय की गयी है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि विदिशा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Vidisha , No. 2289 dated 11.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क0. 22 से 77) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक–24 (पेज क0. 150 से 163) मे दी गई है ।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री एम.एस. रावत, खनिज अधिकारी एंव श्री पंकज वानखेडे, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– विदिशा के पत्र क0 2289, दिनांक 12/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा

लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति विदिशा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

ब. विदिशा (रेत खनिज)

विदिशा जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) मे पाया गया किः–

1. पेज 36 में दर्शित तालिका जिसमें लीजवार लंबाई, चौड़ाई, एंव गहराई के साथ 60 प्रतिशत मिनरल पोटेंशियल दर्शाया गया है, वह गणना सही प्रतीत नही होती। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित की जाना प्रस्तावित है।
2. मिनरल डिपोजीशन (प्री–मानसून, पोस्ट–मानसून) को दर्शाने वाली तालिका को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे समावेश नही किया गया है। अतएव इस तालिका को सम्मिलित किया जावें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि विदिशा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी श्री रविन्द्र परमार को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

7. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) राजगढ़

Mineral	**Other than Sand –Minor mineral**
Earlier DSR Discussed	SEAC 575th Meeting dated 30.05.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Other than Sand –Minor mineral**)
Deliberation in the SEAC 575th Meeting dated 30.05.22	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 गौण खनिज, जिला राजगढ़** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 600 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में प्रस्तावित की गई । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ म.प्र. ने पत्र 479 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 30 दिवस की अवधि हेतु अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए । इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 05/4/22 को किया गया ।

	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :– • राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 600 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियॉ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजगढ़ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है तथा पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ भी प्रस्तुत नहीं किये है और न ही संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जब भी अद्यतन किया जाये उपरोक्त जानकारियों को समाहित किया जाये । • इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Rajgarh No. 789 dated 02.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) राजगढ़ –</u> आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री मुमताज खान, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । राजगढ़ जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः– • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0. 14 से 29) पेज क्र0. 66 से 91 मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार दे दी गई है। • रिपोर्ट के पेज क्र0. 43 से 48 मे जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी (संख्या की जानकारी) दी गई है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि राजगढ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी

	उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री मुकेश सिंग खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– राजगढ़ के पत्र क्र0 789/खनिज/2022 दिनांक 02/09/22 के माध्यम से खदान की जानकारी मे आवश्यक संशोधन कर निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स संलग्न किये है। अतः समिति राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज–रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) हरदा –

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 592th Meeting dated 09.06.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (S**and Mineral**)
Deliberation in the SEAC 592th Meeting dated 09.06.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592वीं बैठक दिनांक 09/06/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रेत खनिज, जिला – हरदा** आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री धनराज काटोलकर, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । हरदा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया कि :– ➢ पेज क्र0. 16 एंव 17 की तालिका क्र0. 14 मे रेत खनिज का मिनरल पोटेंशियल दिया गया है परन्तु मिनरल पोटेंशियल मी.टन मे नही दिया गया है अतएव इसे पुनरिक्षित कर प्रस्तुत किया जाये। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि हरदा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District	Vide District Collectorate (Mining) Office, Vidisha letter No. 334 dated 12.09.2022

Collectorate (Mining)	
SEAC meeting dated 21/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क्र0 20 पेज न0. 27 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री धनराज काटोलकर, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– हरदा के पत्र क्र0 334, दिनांक 12/09/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ हरदा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।

9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) ।

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 567 & 592th Meeting dated 20.04.22 & 09.06.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (S**and Mineral**)
Deliberation in the SEAC 592th Meeting dated 09.06.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 20/04/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रेत खनिज, जिला – छिंदवाड़ा** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 185 दिनांक 20/04/22 के माध्यम से शिवपुरी जिले की 02 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (1. जिला खनिज (रेत) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) – वर्ष 2021–22 एवं 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत को छोड़कर) जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) – वर्ष 2021–22) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जो राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति को दिनांक 22/4/22 को प्राप्त हुई । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 26/04/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में प्रस्तावित की गई । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :– ● कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जिला खनिज (रेत) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) – वर्ष 2021–22 एवं 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत को छोड़कर) जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) – वर्ष 2021–22 के अनुसार दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो का अनुमोदन गठित समिति द्वारा किया गया है जिसका गठन सभी जिलों हेतु संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भोपाल ने पत्र क्रमांक 2981 दिनांक

	03/03/22 के माध्यम से किया है एवं तत्संबंध में आदेश कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 392 दिनांक 22/03/22 के द्वारा किया गया है। • इसी प्रकार कार्यालय (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा म.प्र. ने पत्र क्रमांक–553/खनि. शाखा/2022, दिनांक 18/04/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड करने बावत् पत्र क्रमांक 441 दिनांक 25/3/22 के माध्यम से जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को लिखा गया है । • राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारी (सिया) के पत्र क्रमांक 185 दिनांक 20/04/22 के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियॉ समाहित की गई है किंतु जानकारियॉ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार निर्धारित फार्मेट के क्रमानुसार नहीं है। समिति ने पाया कि इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार छिंदवाड़ा जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी भी दी गई है जो खनिज पट्टों के ब्यौरों की तालिका में उल्लेखित है जिसके साथ निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी आगे से अंकित किया जाना चाहिए । • इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिला पोर्टल अपलोड करने हेतु कार्यालय (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा म.प्र. के पत्र क्रमांक 441 दिनांक 25/3/22 के माध्यम से जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को लिखा गया है । कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला छिंदवाड़ा म.प्र. ने पत्र दिनांक 27/4/22 के माध्यम से पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षपण रिपोर्ट राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल को प्रस्तुत की है, जिसकी प्रतिलिपि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को भी दी है, जिसमें उल्लेख किया है कि जिला छिंदवाड़ा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को नियमानुसार 21 दिवस हेतु आमजन के सुझाव बावत् एन.आई.सी. छिंदवाड़ा के पोर्टल पर दिनांक 28/3/22 को अपलोड किया गया था जिसकी 21 दिन की अवधि दिनांक 17/4/22 को समाप्त हुई तथा इस अवधि में 02 सुझाव प्राप्त हुए जिमसें पर्यावरणीय अनुमतियों अनुसार वृक्षारोपण की जानकारी एवं फोटोग्राफ नहीं दिये जाने एवं उत्खनन् के कारण होने वाली बीमारियों की जानकारी नहीं

	दी गई है । इसी प्रकार पूर्व में प्रस्तुत रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत पुर्नभरण की जानकारी में टंकण त्रुटि हुई थी जिनको सुधारा गया है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि चूँकि छिंदवाड़ा जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो (खनिज–रेत एवं रेत को छोड़कर अन्य गौण खनिज) पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ छिंदवाड़ा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Chhindwara letter No. 334 dated 12.09.2022

आज दिनांक 21/09/22 को छिंदवाडा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गयी रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी. पी. राय, एवं श्री महेश नागपुरे प्रभारी खनिज अधिकारी उपस्थित हुये।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/22 में छिंदवाडा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया किः–

- छिंदवाडा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 20/04/22 अनुशंसित की जाकर सिया भेजी गयी जिसको सिया कार्यालय द्वारा भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया है।
- छिंदवाडा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तालिका क्र0. – XIV (Annexure) पेज क्र0. 44–45 में लीजवार जो मिनरल पोटेंशियल प्रस्तुत किया है। तालिका मे रेत की मात्रा की गणना करते समय घन मी. की मात्रा मे पुनरीक्षण करना पाया गया है, साथ ही उपलब्ध क्षेत्र के आधार से दर्शायी गयी मात्रा काफी कम पायी जा रही है एंव इसको स्पष्ट करते हुये पुनरीक्षित कर पुनः प्रस्तुत करें।
- मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली तालिका में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60% माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मी.टन यूनिट मे भी दर्शावें।
- विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का खदानवार मात्रा भी दर्शावें जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा।

10. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मण्डला –

अ. अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर , जिला, मण्डला

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th Meeting dated 27.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Minor Minerals**)
Deliberation in the SEAC 591th Meeting dated 27.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **गौण खनिज, जिला मण्डला –** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री दिवेश मरकाम, सहायक खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– 1. गौण खनिज की तालिका कमांक 3.2 पेज न0. 18 (PDF) मे सरल क0. 1,3,5,9,18,21–27, 34, 47, 49, 50, 53, 64–67, 70–81 आदि में लीजों के अक्षांश एंव देशांश प्रदर्शित नही किये गये है। 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे गौण खनिजों की जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 मे बतायी गयी तालिका (16 बिन्दुओं के कॉलम) के अनुसार नही दर्शायी गयी है। 3. लीजवार पौधारोपण की जानकारी भी नहीं दी गई है।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Mandla , No. 1422 dated 12.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर चेप्टर –08 मे (पेज क0. 26 से 55) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी चेप्टर –26 मे (पेज क0. 94 से 104) मे दी गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री दिवेश मरकाम, सहायक खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– मण्डला के पत्र

क्र0 1422 दिनांक 12/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति मण्डला जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

ब. मण्डला (रेत खनिज)

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591& 592th Meeting dated 27.08.22 & 21.09.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (S**and Mineral**)
Deliberation in the SEAC 591& 592th Meeting dated 27.08.22 & 21.09.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रेत खनिज, जिला – मण्डला** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री दिवेश मरकाम, सहायक खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– • जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 43 (PDF) के एनेक्सर III में खनिज छूट के लिये सिफारिश नदी एंव धारा का भाग के अन्तर्गत जानकारी निरंक दर्शायी गयी है? इसको स्पस्ट करें। • रिपोर्ट की तालिका निरंक पेज क्र0. 67 (PDF) के अन्तर्गत दर्शायी गयी। रेत का मिनरल पोटेंशियल की गणना करने में प्री–एंव पोस्ट मानसून में रेत की उपलब्ध मात्रा एक समान दर्शायी गयी है। साथ ही इस तालिका में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेबल मिनरल" पोटेंशियल घनमीटर में 60% के साथ नही दर्शाया गया है। • साथ ही उक्त तालिका में 03 वर्षो के उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शायी जायें जिससे ज्ञात हो सके कि उक्त स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है। • मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली तालिका में टेबल मे अनावश्यक संशोधन कर रेत की 60% माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन) मीट्रिक टन में भी दर्शाये। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि मण्डला जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy Vide District Collectorate (Mining) Office, Mandla , No. 1422 dated 12.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क्र0 निरंक पेज न0. 49 से 51 में

	माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक **21/09/22** को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री दिवेश मरकाम, सहायक खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– मण्डला के पत्र क0 1422, दिनांक 12/09/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि मण्डला जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ शाजापुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।

निम्नानुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आज एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था संबंधित खनिज अधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान प्रस्तुत कर आज की बैठक में संबंधित खनिज अधिकारियों/निरीक्षकों के अनुरोध पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गई :–

11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, नर्मदापुरम –

अ. अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर, जिला नर्मदापुरम

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 588th Meeting dated 16.08.2022
Approved /or recommend for	Recommended for DSR Updation (**Minor Minerals**)

Updation (if Updation then elaborate issues)	
Deliberation in the SEAC 588th Meeting dated 16.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22** जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नर्मदापुरम (गौण खनिज)– श्री शशांक शुक्ला, खनिज अधिकारी एवं सुश्री अर्चना ताम्रकार, खनिज निरीक्षक – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– नर्मदापुरम के पत्र कमांक 460 दिनांक 01/08/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – नर्मदापुरम की हार्ड कापी सेक को प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेखित है कि इस रिर्पोट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया तथा जिला के सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को किस दिनांक की बैठक में किया गया इसका उल्लेख नही किया गया। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 03/08/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 588 वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में प्रस्तावित की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, नर्मदापुरम की ओर से खनिज अधिकारी श्री शंशाक शुक्ला एंव खनिज निरीक्षक सुश्री अर्चना ताम्रकार ऑनलाईन उपस्थित हुये जिसमें पाया गया किः– (1) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 22 मे अंतिम पेराग्राफ मे किसी प्लांट, क्षेत्र की रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संबंधित जानकारी दी है, जो कि संबंधित नही है। इसी प्रकार पेज न0. 23 मे ई.एम.पी. क्रियान्वयन संबंधित जानकारी भी डी.एस.आर से संबंधित नही है। अतएव कृपया सावधानीपूर्वक निरीक्षण करके ही जानकारी प्रस्तुत करें। (2) चेप्टर 20, पेज न0. 39 के अन्तर्गत जो इको सेंसिटिव जोन की जानकारी दी है जिसमें उल्लेखित है कि सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, पचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण एंव बोरी वन्य प्राणी अभ्यारण ई.एस.जेड के अन्तर्गत आते है। चूँकि ई.एस.जेड. अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होते है, अतएव इसके साथ इसकी सीमायें एंव आने वाले गांवों की सूची भी प्रस्तुत करें, संबंधित ईको सेंसेटिव जोन का नोटिफिकेशन प्रस्तुत किया जाये एंव यदि कोई स्वीकृत खदान इन संवेदनशील मे आती हो तो इसका भी उल्लेख करे। (3) गौण खनिज के प्रकरणों मे पूर्व से पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों की निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है इसको भी सम्मिलित करें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि नर्मदापुरम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। तत्संबंध में उपस्थित खनिज निरीक्षक सुश्री अर्चना ताम्रकार को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Narmadapuram , No. 641 dated 14.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका क्र0. – 9 पेज क्र0. 24–31 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी तलिका

	क्र0. –निरंक (पेज क्र0. 57 से 59) मे दी गई है ।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं सुश्री अर्चना ताम्रकार, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– नर्मदापुरम के पत्र क्र0 641, दिनांक 14/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति नर्मदापुरम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

ब. रेत खनिज जिला, नर्मदापुरम

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 588th Meeting dated 16.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand**)
Deliberation in the SEAC 588th Meeting dated 16.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नर्मदापुरम (रेत खनिज)– श्री शशांक शुक्ला, खनिज अधिकारी एवं सुश्री अर्चना ताम्रकार, खनिज निरीक्षक –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के पत्र कमांक 460 दिनांक 01/08/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – नर्मदापुरम की हार्ड कापी सेक को प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेखित है कि इस रिर्पोट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया तथा जिला के सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को किस दिनांक की बैठक में किया गया इसका उल्लेख नही किया गया। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 03/08/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 588 वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में प्रस्तावित की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, नर्मदापुरम की ओर से खनिज अधिकारी श्री शंशाक शुक्ला एंव खनिज निरीक्षक सुश्री अर्चना ताम्रकार ऑनलाईन उपस्थित हुये जिसमें पाया गया कि :– *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के मूलभूत तालिकाओं का समावेश नही किया गया है जिससे जिले की नदियों मे उपलब्ध रेत की मात्रा का अनुमान लगता है जैसे तालिका* • *मुख्य नदियों के विवरण सहित निवासी प्रणाली को प्रदर्शित करने वाली तालिका।* • *महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषता प्रदर्शित करने वाली तालिका।* • *खनिज छुट के लिये सिफारिश किया गया नदी की धारा का भाग।* • *खनिज क्षमता को प्रदर्शित करने वाली तालिका वार्षिक जमाव सहित।* • *नदीवार एंव लीजवार सभी खदानों को सम्मिलित करके प्रत्येक लीज की लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के*

	साथ लीजो मे रेत की उपलब्ध मात्रा की गणना की जाना है तत्पश्चात् उपलब्ध रेत मात्रा की 60 प्रतिशत मिनरल पोटेंशियल भी दर्शाया जाना है। इस तालिका का रिपोर्ट मे शामिल अन्य तालिकाओं मे सुसंगत सामांजस्य रखते हुये तैयार करना है एंव इस बात का ध्यान रखा जायें कि (प्री मानसून एंव पोस्ट मानसून मे लीजों मे उपलब्ध रेत की मात्रा का उल्लेख करें लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ) यहां और अन्य तालिकाओं मे जहां भी लीजो की लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई का उल्लेख हो वहां समरूपता रहे। • विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है । • मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये । • इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि नर्मदापुरम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Narmadapuram , No. 650 dated 16.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क0 निरंक पेज क0. 73 से 79 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं पेज क0. 58 से 66 में विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं सुश्री अर्चना ताम्रकार, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– नर्मदापुरम के पत्र क0 2289, दिनांक 12/09/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति की अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये। अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ नर्मदापुरम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

12. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, कटनी –

अ. अन्य गौण खनिज जिला, कटनी

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 2103 दिनांक 13/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–रतलाम (गौण खनिज–रेत) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री संतोष सिंह, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः–

- तलिका क्र0.– 9 पेज क्र0. 31–43 में दर्शित डेटा 16 बिन्दुओं की जानकारी अधिसूचना के अनुसार नही है जैसे –
  - Latitude & Longitude of the leases.
  - Mining lease Sanction Order No. & date,
  - Date of commencement of mining operation,
  - Captive or Non-captive,
  - EC obtained Yes/No
  - Method of Mining (Open Cast/Under Ground) etc.

- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि कटनी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

ब. कटनी (रेत खनिज)

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 587th & 592th Meeting dated 17.06.2022 & 06.09.2022

594वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 सितम्बर 2022

Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Mineral**)
Deliberation in the SEAC 587th & 592th Meeting dated 17.06.2022 & 06.09.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 17/06/22** **<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – कटनी, म.प्र.– (रेत खनिज)</u>** जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कटनी के पत्र क्रमांक 1726 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022, (रेत खनिज) जिला– कटनी राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रतिलिपि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) को दी गई थी। कार्यालय (खनिज शाखा) जिला– कटनी, म.प्र. ने अवगत कराया कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) पर सुझाव आंमत्रित करने बाबत् उसे जिले के पोर्टल पर नियत अवधि के लिए अपलोड किया गया था। उक्त समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही होने के फलस्वरूप दिनांक 22/07/2022 को गठित समिति के समक्ष रखी गई थी । उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/07/22 (सॉफ्टकॉपी) को प्रेषित की गई थी तथा प्रस्तुतीकरण/चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित की गई। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 तक कटनी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, कटनी की ओर से श्री पवन कुशवाहा, खनि निरीक्षक ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया किः– 1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट (पेज–56 एवं 57) अनुसार जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है। 2. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है । 3. प्राप्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज) के साथ संलग्न प्रपत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 22/07/22 को आयोजित जिला समिति की बैठक में इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया अथवा नहीं, अतः जिला समिति की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जाये अथवा जिला समिति के पूर्ण कार्यवाही संलग्न करें जिसमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा अनुमोदित की गई हो । 4. पिछले तीन वर्षो के दौरान रेत खनिज राजस्व प्राप्ति के ब्यौरों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष 2019–20 में रेत का उत्पादन 65,000 घनमीटर दर्शाया गया है जबकि रॉयल्टी शून्य दर्शाई गई हैं । (पेज नं.–35) 5. जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट मे बहुत सारी जानकारियां मुख्य एंव गौण खनिज की दी गयी है। 6. पेज नं. 45 पर प्रस्तुत रेनफॉल की जानकारी अस्पष्ट/अपठनीय है । 7. पेज नं.–35 के अंतिम पैराग्राफ में दी गई तालिका के विवरण अपठनीय है । 8. पेज न0. 56 के अन्तर्गत प्रदाय की जानकारी अपूर्ण है। इस तालिका मे ना ही नदी–वार लीजों की सूची, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत माईनिंग, गहराई के साथ उपलब्ध रेत की मात्रा एंव तदुपरांत उत्पादन, खनिज योग्य खनिज क्षमता, मात्रा की 60% मात्रा को दर्शाया जाना चाहिये। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है। 9. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । 10. प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी

	के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए । 11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए। 12. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । 13. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री श्री पवन कुशवाहा, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है । **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592वीं बैठक दिनांक 06/09/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– कटनी – रेत खनिज** आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री श्री संतोष सिंह, खनिज अधिकारी। उपस्थित रहे । कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया गया कि :– 1. रिपोर्ट में रेत खदानों के अंक्षाश एंव देशांश नही दिये गये है। 2. प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून के डाटा प्रस्तुत नहीं किए गए । 3. मिनरल पोटेंशियल की तालिका की गणना पुनरिक्षित कर जाना प्रस्तावित है। 4. तालिका में दशमलव के तीन अंको को लिखा गया है । कृपया आवश्यक सुधार करें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि कटनी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Katni , No. 2114 dated 14.09.2022.
SEAC meeting dated 21/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क0 निरंक पेज न0. 60 से 61 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री संतोष सिंह, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– कटनी के पत्र क्र0 2114, दिनांक 14/09/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।
समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

13. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दतिया –अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 642–3.दिनांक 13.09.2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– दतिया (गौण खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	**Other Minor Minerals**
Earlier DSR Discussed	New DSR
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	New DSR (**Other Minor Minerals**)
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Datia No. 642-3 dated 13.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	**जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – दतिया, म.प्र.– (अन्य गौण खनिज, रेत छोड़कर)** • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका क्र0.– 09 पेज क्र0. 19 से 39 मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार दे दी गई है। • पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी रिपोर्ट के पेज क्र0. 67 से 75 मे जिले में हरित क्षेत्र के

	विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी दी गई है ।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री रमेश पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– दतिया के पत्र क्र0 642. 3, दिनांक 13/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

14. अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर , जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खरगौन

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 576th Meeting dated 10.06.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Minor Minerals**)
Deliberation in the SEAC 576th Meeting dated 10.06.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला खरगौन (म.प्र.) ।** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 602 दिनांक 27/05/22 के माध्यम से खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा खरगौन के पत्र क्रमांक 7676 दिनांक 27/5/22 के माध्यम से सूचित किया गया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया । उक्त अवधि की जिला के सवेक्षण रिपोर्ट में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए, अतएव गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई और इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7661 दिनांक 24/05/22 को कलेक्टर महोदय से अनुशंसा सहित सदस्य सचिव, सिया/सेक को भेजी गई । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 02/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तावित की गई । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, खरगौन की ओर से श्री सावन चौहान, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ➢ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है।

	➢ बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । ➢ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ➢ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Khargone , No. 8268 dated 15.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक– (Annexure-R-1) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक–12 (पेज क्र0. 51 से 59) मे दी गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री सावन चौहान, प्रभारी खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– खरगौन के पत्र क्र0 8268, दिनांक 15/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

15. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला–सतना (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 1624 दिनांक 13/09/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–सतना (गौण खनिज–रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	**Other than Sand**
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Satna , No. 1651 dated 20.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–निरंक (पेज न0. 152–171) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक–निरंक (पेज क्र0. 152 से 171) मे दे दी गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री एच. पी. सिंग, खनिज अधिकारी उपस्थित हुए ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– सतना के पत्र क्र0 1651/खनिज/2022 दिनांक 20/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति सतना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) नरसिंहपुर–

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 756 दिनांक 13/09/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–नरसिंहपुर (गौण खनिज–रेत) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री ओ.पी. बघेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । नरसिंहपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया किः–

Mineral	**Other then Sand**
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Narsinghpur , No. 756 dated 13.09.2022 .
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting dated 21/09/22	तालिका क्र0 निरंक पेज क्र0. 77 से 80 मे रेत खनिज का मिनरल पोटेंशियल दिया गया है परन्तु तलिका मे लीजवार जो रेत लीज में उपलब्ध मात्रा की गणना की गयी है वह गलत प्रतीत है। अतएव इसको सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

आज ही खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला – नरसिंहपुर ने पत्र क्रमांक 805 दिनांक 20/09/2022 के माध्यम से ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है। तथा मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) प्रस्तुत कर दी गई है ।

खनिज अधिकारी के दिये गये स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है, कि नरसिंहपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गइ है, एंव विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है भी दर्शाया गया है। जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।
समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ नरसिंहपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।

17. जिला सर्वेक्षण रिर्पोट – उमरिया (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

Mineral	**Minor Mineral - Other than sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 579th Meeting dated 17.06.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Umaria)
Deliberation in the SEAC 579th Meeting dated 17.06.22	***राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22*** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 756 दिनांक 10/06/22 के माध्यम से उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जिसमें यह उल्लेखित है, कि जिला कलेक्टर, उमरिया के उप संभागीय समिति की अनुशंसा एंव जिला पोर्टल पर 21 दिन की कार्यवाही पूर्ण कर एस.ई.ए.सी. समिति के परीक्षण एंव सिया कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 13/06/22 (सॉफ्टकापी) को ई–मेल द्वारा प्रेषित की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उमरिया के पत्र क्रमांक 1112 दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से प्राप्त हुई इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन गठित समिति द्वारा किया गया है । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, उमरिया की ओर से सुश्री फरहत जहॉन, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ✓ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ✓ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री फरहत जहांन, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Umaria , No. 1508 dated 15.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0. 34 से 56) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक–24 (पेज क्र0. 110 से 116) मे दी गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं सुश्री फरहत जहान, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– उमरिया के पत्र क्र0 1508 दिनांक 15/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

18. जिला सर्वेक्षण रिर्पोट – सिवनी (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 1628 दिनांक 14/09/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– सिवनी (गौण खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	**Minor Mineral - Other than sand**
Earlier DSR Discussed	New DSR
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Seoni , No. 1628 dated 14.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0. 83 से 98) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक–24 (पेज क्र0. 70 से 82) मे दी गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री आर.के. खातरकर, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– सिवनी के पत्र क्र0 1628 दिनांक 14/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति सिवनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

19. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मंदसौर,

अ. गौण खनिज (गिट्टी, मुरूम, लेटेराईट, एवं शैल) जिला– मंदसौर

आज दिनांक 21/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्रीमति भावना सेंगर, प्रभारी प्रभारी, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया किः–

Mineral	**Other Minor Minerals (Stone)**
Earlier DSR Discussed	SEAC 579th Meeting dated 17.06.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Other Minor Minerals)**
Deliberation in the SEAC 579th Meeting dated 17.06.22	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592वीं बैठक दिनांक 06/09/22 गौण खनिज, जिला रतलाम** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मंदसौर –** **अ. गौण खनिज (गिट्टी) जिला, मंदसौर** आज दिनांक 06/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्रीमति भावना सेंगर, प्रभारी प्रभारी, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया किः–

	• पेज क्र0. 22 में दर्शित तालिका क्र0. 9 मे लीजवार जो जानकारी दी गयी है वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में दी गयी वह 16 बिन्दुओं के अनुसार नही है। लीज के अक्षांश –देशांश, पर्यावरण स्वीकृति (EC) की स्थिति, केप्टिव है या नॉन केप्टिव है आदि एंव खनन की विधि आदि की जानकारी नही दी गयी है। • लीजवार रौपे गये पौधों की जानकारी नही दी गयी है। • जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 27–29 में जो मेटर दिया गया है वह स्पष्ट पढ़ने में नही आ रहा है। इन पेजों में ज्मगज आपस में मिल रहा है **<u>ब . गौण खनिज (मुरूम) जिला मंदसौर</u>** जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया किः– • पेज क्र0. 1 मे लीजवार जो जानकारी दी गयी है वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में दी गयी वह 16 बिन्दुओं के अनुसार नही है। लीज के अक्षांश –देशांश, पर्यावरण स्वीकृति (म्ब) की स्थिति, केप्टिव है या नॉन केप्टिव है आदि एंव खनन की विधि आदि की जानकारी नही दी गयी है। • लीजवार रौपे गये पौधों की जानकारी नही दी गयी है। • पेज क्र0. 27–29 में पेज 10–12 में ज्मगज मेटर दिया गया है वह पढ़ने में नही आ रहा है।
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	DSR (**Other Minor Minerals**) for updation
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Mandsaur No. 2048 dated 19.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	**जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मंदसौर – गिट्टी** • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका क्र0.– 1 पेज क्र0. 23–56 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी संख्या तलिका क्र0. – 1 पेज क्र0. 23–56 मे दी गई है। **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मंदसौर – मुरूम** • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका क्र0.– 1 पेज क्र0. 63–64 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा

	किये गये वृक्षारोपण की जानकारी संख्या तलिका क्र0. – 1 पेज क्र0. 63–64 मे दी गई है। **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मंदसौर –शैल** • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका क्र0.– 1 पेज क्र0. 70–73 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी संख्या तलिका क्र0. – 1 पेज क्र0. 70–73 मे दी गई है। **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मंदसौर –लेटेराईट** • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तलिका क्र0.– 1 पेज क्र0. 79–81 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी संख्या तलिका क्र0. – 1 पेज क्र0. 79–81 मे दी गई है।

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्रीमति भावना सेंगर, प्रभारी प्रभारी, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– मंदसौर के पत्र क्र0 2048/खनिज/2022 दिनांक 19/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी (संख्या) प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति मंदसौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज (गिट्टी, मुरूम, लेटेराईट, एवं शैल) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

ब .गौण खनिज (रेत खनिज) जिला, मंदसौर

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 592 Meeting dated 06.09.22.
Approved /or recommend for Updation (if	Recommended for DSR Updation (**Sand**)

Updation then elaborate issues)	
Deliberation in the SEAC 592 Meeting dated 06.09.22	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 जिलासर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – मंदसौर** **म.प्र.– (रेत खनिज)** **गौण खनिज (रेत खनिज) जिला, मंदसौर** जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) मे पाया गया कि:– 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में निर्देशित की गयी तालिका नही तैयार की गयी है। रिपोर्ट में ली गई रेत की लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ प्रदर्शित नही की गयी है। 2. रेत खनिज का लीजवार मिनरल पोटेंशियल घन मी. एंव मी.टन मे मात्रा भी नही दर्शायी गयी है। 3. लीजवार 03 वर्षो का मिनरल पोटेंशियल नही दर्शाया गया है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि मंदसौर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज, लेटराईट एवं गिट्टी) को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Mandsaur No. 2096 dated 22.09.2022
SEAC meeting dated 23/09/22	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 596 वीं बैठक दिनांक 23/09/22 जिलासर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – मंदसौर**

	म.प्र.– (रेत खनिज) 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में निर्देशित की गयी तालिका मे जो लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ जो मिनरल पोटेंशियल की गणना की गयी है उसको पुनः किया जाना प्रस्तावित है एंव रेत की मात्रा की गणना करने में 0.075, 0.060, 0.037 मीटर का डेटा लेवल गणना की है जो व्यवहारिक तौर पर समझ में नही आ रहे। अतः इस तालिका को पुनरिक्षित की जाना प्रस्तावित है।

आज ही श्रीमति भावना सेंगर, प्रभारी प्रभारी, खनिज अधिकारी ने समिति के सुझाये अनुसार आवश्यक सुधारा को पूर्ण कर संशोधित जिला सर्वेक्षण पुनः प्रस्तुत की। चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– मंदसौर के पत्र क्र0 2096, दिनांक 22/09/22 के माध्यम से तालिका क्र0. निरंक, पेज न0. 04 –09 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि मंदसौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

20. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) शहडोल –

आज दिनांक 21/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री प्रमोद शर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित शहडोल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे पाया गया किः–

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में निर्देशित की गयी तालिका मे जो लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव

गहराई के साथ जो मिनरल पोटेंशियल की गणना की गयी है उसको पुनः किया जाना प्रस्तावित है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि शहडोल की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

21. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अशोकनगर –

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 132 दिनांक 21/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– अशोकनगर (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th Meeting dated 27.08.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation **(Sand Mineral)**
Deliberation in the SEAC 591th Meeting dated 27.0822	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **जिला अशोकनगर –(रेत खनिज)** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तालिका का समावेश प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नही किया गया है जिसमें नदी वार एंव लीजवार लीज की लंबाई, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ रेत की मात्रा दर्शायी जाती है। साथ ही मिनरल पोटेंशियल 60% माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) में प्रस्तुत करे। • जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में खनिज रेत हेतु लीजवार '' माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एंव चोड़ाई के साथ) नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है। • विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है । • मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित

	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी श्री महेन्द्र पटेल को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Ashok Nagar letter No. 132 dated 20.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting dated 21/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क0 Annexure-III पेज न0. 25 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक **21/09/22** को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री अशोक सिंघारे, उप खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला–अशोकनगर के पत्र क0 132, दिनांक 20/09/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.
    g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.

i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
    नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of

tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained